



रजिस्ट्री सं.डी.एल.-33004/99

REGD. No. D.L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III- Section-4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2013/ वैशाख 25, 1935
No.-135] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2013/ VAISAKHA 25, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना
मुंबई, दिनांक 26 अप्रैल 2013

डीपीएसएस.केका.एडी.सं. 1946/02.27.004/2012-13

भारत में सीमा पारीय इनबाउंड धन अंतरण सेवाओं के लिए ओवरसीज प्रिंसिपल्स की ओर से प्राधिकरण हेतु आवेदन

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि इसके बाद से भारतीय रिज़र्व बैंक केवल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत ओवरसीज प्रिंसिपल्स की ओर से मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत भारत में सीमा पारीय इनबाउंड धन अंतरण सेवाओं के लिए प्राधिकरण हेतु आवेदन स्वीकार करेगा। गैर- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (नॉन-एफएटीएफ) अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत ओवरसीज संस्थाओं की ओर से इस अधिसूचना की तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर प्राधिकरण के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा और इस विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विजय चुग, मुख्य महाप्रबंधक
(एडीवीटी.III/4/38/13/ ईएक्सटीवाई.)